[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 2015

**अधिसूचना**

सा.का.नि. . . . . . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या उससे सलंग्न वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

**4. निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है |

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

**5. शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

**6. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहायक माइक्रोबायोलोजिस्ट | 1* (2016)<br><br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' (राजपत्रित) अनन्सचिवीय | वेतन बैंड-3; वेतनमान 15600- 39100 रू0+ ग्रेड वेतन 5400 रू0 | लागू नहीं | लागू नहीं |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
|---|---|
| (10) | (11) |
| प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है | प्रतिनियुक्ति ( जिसमें अल्प कालिक संविदा सम्मिलित है ) केन्द्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी -<br>(क)<br>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 + ग्रेड वेतन रू0 4800 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो, या<br>(iii) जिन्होंने वेतन बैंड-2 रू0 9300-34800 + ग्रेड वेतन रू0 4600 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो, या<br>तथा<br><br>(ख) निम्नलिखित योग्यता हो<br>अनिवार्य:<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेक्टीरियोलोजी या माइक्रोबायोलोजी या स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य।<br>(ii) चिकित्सा संस्थान या अस्पताल या जनस्वास्थ्य या क्लीनिकल प्रयोगशाला में माइक्रोबायोलोजी के क्षेत्र में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना** | **भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| लागू नहीं | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ॥ |

ए. 11018/50/2005 -आर आर

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार